


FORM NO. |||

फर्द अहकाम
नियम (26)

अज अदावात.....उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम.....
 महावीर.....बनाम.....रा.र.म.र.....किस्म मु०.....
 मिसल न०.....३१/२०२५.....

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|--|
| १५/०८/२५ | <p>प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखावाडा 2025 के द्वारा प्राप्त हुआ ,जिसमे प्रार्थी महावीर पुत्र रघनाथ नि० नीमसरा ने प्रा० पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के हिस्से की भूमि में प्रार्थी का महावीर पुत्र रुघनाथ नि० नीमसरा नाम दर्ज है। जमाबंदी सवत् 2074 से 77 मुताबिक खसरा नबर 403 में काशतगार का नाम महावीर पुत्र रुघनाथ दर्ज है। जिसकी शुद्धि के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है उक्त प्रकरण की सम्बन्धित पटवारी भू. अभि. निरीक्षक क्षेत्र द्वारा दुरस्ती करने अनुशंसा की गई। अतः तहसीलदार पीपल्दा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का नाम महावीर पुत्र रुघनाथ के स्थान पर महावीर पुत्र रघूनाथ नाम दर्ज किया जावे। आज दिनांक १०/०८/२५ को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p>  | |